संख्या- 66 /2019 / 271 /चार-2019

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 13 मार्च, 2019**

विषय:- अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में ग्लोसाइन बोर्ड के निर्माण पर हुए व्यय की कार्योत्तर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2019 में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 61 /2019 /271 /चार-2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- 61/2019 /271/चार-2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के पृष्ठांकन में उपनिदेशक , अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, अयोध्या का अंकन त्रुटिवश छूट गया है। अत: पृष्ठांकन में उपनिदेशक , अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, अयोध्या पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या- 61/2019 /271/चार-2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या - 66 /2019 / 271 /चार-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. उपनिदेशक , अन्तर्राष्ट्रीय रामकथासंग्रहालय, अयोध्या ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, अयोध्या ।
4. आहरण वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय लखनऊ
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1 /वित्त (ई-7) अनुभाग
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।